

प्रारूप-स

माह का नाम: मार्च 2026

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अरोपित अर्थदण्ड का विवरण

क्र० सं०	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके निरूद्ध अर्थदण्ड परित किया गया	अर्थदण्ड परित करने का दिनांक	अर्थदण्ड की राशि	पारित अर्थदण्ड के निरूद्ध विभाग द्वारा अर्थदण्ड की राशि धरने की स्थिति	विभाग द्वारा जन-सूचना अधिकारियों के निरूद्ध अर्थदण्ड की स्थिति (यदि कोई हो)	पारित अर्थदण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई	क्रांतिक
01	राज्य विभाग, मुरादाबाद	श्री विद्याभूति, कार्यलय राज्य सरकार, अशिकापी नजीबाबाद ।	16.04.2018	₹0 25000.00	अर्थदण्ड मुद्रा-1 राज्य सरकार द्वारा के पत्र सं० 2457 दि० 10.09.2025 एवं पत्र सं० 2715 दि० 27.09.2025 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र सं० 1503 दिनांक 27.10.2025 द्वारा श्री दिव्यभूति उपायुक्त राज्य सरकार के पत्र सं० 10 मुरादाबाद के मसम नमिना वार्ड एवं पारित अर्थदण्ड जमा की अज्ञान स्थिति में अज्ञान करने हेतु निर्देशित किया गया है।	अधिरक्षित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय विभागाधीन विज्जोर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 को इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी सिनी है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर में माननीय सूचना आयोग के समक्ष प्रयास के पत्र संख्या- 589 दिनांक 25.02.2021 में किया गया है जो मा० राज्य सूचना आयोग में लक्षित है। इस कार्यालय द्वारा उपायुक्त राज्य सरकार, अर्थदण्ड-2 नजीबाबाद को पत्र सं० 140 दि० 09.05.2018 एवं पत्र सं० 801 दिनांक 17.02.2022 लिखा गया तथा श्री दिव्यभूति, उपायुक्त राज्य सरकार, अर्थदण्ड-4, सेठ को पत्र सं०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा करने हेतु प्रेषित किये गये हैं।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

शून्य

02	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डि० कर्मि० (प्रशा०) वा०क० झांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कर्मि० (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदन पर मा० राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा अभी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।	श्रीमती सरिता सिह, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डि० कर्मि० (प्रशा०) वाणिज्य कर, झांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं०- 1/2482सी०/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध मेरे द्वारा मा० राज्य सूचना आयुक्त उ०प्र० लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो अभी वर्तमान में लब्धित है ।
----	----------	---	------------	----------	----	----	---	---

नोट:- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, झांसी के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-659/29.06.2024, 736/08.07.2024, 797/16.07.2024, 1445/28.09.2024, 1952/22.11.2024, 2621/20.01.2025, 254/29.04.2025 एवं 557/27.05.2025 के माध्यम से श्रीमती सरिता सिह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(वि०अनु०शा०) राज्य कर, गाजियाबाद तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, झांसी को पत्र प्रेषित करते हुए मा० राज्य सूचना आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के समक्ष दायर अपील क्रमांक 104002 दिनांक 20.03.2018 की अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जो अभी तक अप्राप्त है ।

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।


(श्रीमती)